Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय अति0 कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

कन्नी बनाम **कालु वगैराह**

किस्मा मुकदमा **राजस्व अपील** नं0 **014** सन् **2017**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2020	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधि0 हाजिर। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई को सुना गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2013 अनवानी कालु बनाम कन्नी में माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर अपने प्रकरण संख्या 050/2011 अनवानी कालु वगैराह बनाम कन्नी वगैराह निर्णय दिनांक 15.02.2013 द्वारा प्राप्त निर्देश/आदेश की पालना में विधिवत सुनवाई जांच किये जाने के पश्चात् अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2017 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2017 अंतर्गत धारा **135 LR ACT 1956** के तहत विवादित कार्यवाही के तहत विधिवत सुनवाई की जाकर पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अंतर्गत धारा **75 LR ACT 1956** के तहत तहसीलदार द्वारा निर्णित विवादित श्रेणी के प्रकरणों की प्रथम अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय को प्राप्त है, ऐसी स्थिति में अंतर्गत आदेश 07 नियम 10 जा0दी0 के हस्तगत प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत अपील में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रकरण को माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर को भिजवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः हस्तगत अपील में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण को माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर को भिजवाया जावें। पत्रावली का मुसन्ना रिकार्ड में रखा जावें। तद्नुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। तहसीलदार डूंगला से प्राप्त अभिलेख प्रकरण संख्या 02/2013 निर्णय दिनांक 02.06.2017 जो इस पत्रावली के हम किता है को भी माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर को पत्रावली के हम किता किया जाकर भिजाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल पत्रावली माननीय न्यायालय को भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। – ह0 – (मुकेश कुमार कलाल) अतिरिक्त कलेक्टर, (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ 24.12.2020 Signature Not Verified Digitally signed by Mukesh Kumar Date: 2021.01.05 18:48:02 IST Reason: SelfAttested	